Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर–उदयपुर में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के दो अधिशासी अभियंता, एक सहायक अभियंता एवं दलाल ठेकेदार (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से रिश्वत लेते–देते गिरफ्तार**
- **पदोन्नति पर ट्रांसफर नहीं करने की एवज में ली जा रही थी घूस**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *07 फरवरी, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर द्वारा मुख्यालय को प्राप्त एक **सूत्र–सूचना** पर जयपुर एवं उदयपुर में तीन स्थानों पर एक साथ कार्यवाही करते हुये **कुंज बिहारी गुप्ता अधिशासी अभियंता,** प्रावधायी सहायक निदेशक ऑपरेशन कार्यालय राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़, जयपुर को **दलाल ठेकेदार कल्पवन व्यास (प्राईवेट व्यक्ति)** के माध्यम से **1 लाख 25 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते–देते गिरफ्तार किया है। प्रकरण में उदयपुर से **विपिन कुमार चौहान सहायक अभियंता** एवं **जीनन जैन अधिशासी अभियंता** को भी गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. मुख्यालय को एक सूत्र–सूचना इस आशय की प्राप्त हुई कि जीनन जैन सहायक अभियंता राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़ की पदोन्नति अधिशासी अभियंता के पद पर होने के पश्चात उसका ट्रांसफर उदयपुर से बाहर नहीं करने की एवज में कुंज बिहारी गुप्ता अधिशासी अभियंता, प्रावधायी सहायक निदेशक ऑपरेशन कार्यालय राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़, जयपुर द्वारा अपने दलाल ठेकेदार कल्पवन व्यास (प्राईवेट व्यक्ति) एवं विपिन कुमार चौहान सहायक अभियंता के माध्यम से लाखों रुपयों की रिश्वत राशि का लेनदेन होने की संभावना है। उक्त **सूत्र–सूचना को मुख्यालय स्थित तकनीकी शाखा एवं गोपनीय सत्यापन के माध्यम** से विकसित किया गया।

विकसित सूत्र–सूचना से प्राप्त आसूचनाओं के आधार पर आज विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह शेखावत** के नेतृत्व में एसीबी एस.आई.यू. इकाई के **पुलिस निरीक्षक श्री रघुवीर शरण शर्मा** एवं विभिन्न टीमों द्वारा जयपुर–उदयपुर में एक साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये जयपुर में कुंज बिहारी गुप्ता पुत्र श्री लड्डूराम गुप्ता निवासी मकान नं0 16, राधाविहार, श्योपुर रोड़, प्रतापनगर, जयपुर हाल अधिशासी अभियंता, प्रावधायी सहायक निदेशक ऑपरेशन कार्यालय राजस्थान राज्य विद्युत

Helpline 1064

94135-02834

प्रसारण निगम लिमिटेड़, जयपुर को उसके निवास पर दलाल ठेकेदार कल्पवन व्यास पुत्र श्री नंदकिशोर व्यास निवासी ए–96, सुभाषनगर, भीलवाड़ा हाल ठेकेदार फर्म गीताजंलि इलेक्ट्रॉनिक्स, भीलवाड़ा (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से **1 लाख 25 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते–देते गिरफ्तार किया है। प्रकरण में उदयपुर से विपिन कुमार चौहान सहायक अभियंता एवं जीनन जैन पुत्र श्री नटवर लाल जैन निवासी 117–ए, शास्त्रीनगर, सेक्टर–14, गिरवा, उदयपुर हाल पदोन्नत अधिशासी अभियंता आर.आर.वी.पी.एन.एल. को भी गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि दलाल ठेकेदार कल्पवन व्यास आरोपी जीनन जैन से **2 लाख रुपये** रिश्वत के रूप में उदयपुर से लेकर आया था।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।